

कार्यालय महानिबन्धक
उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

विषय – निष्प्रयोज्य वाहनों (अम्बेसडर) की नीलामी।

नीलामी की तिथि – 07 दिसम्बर 2019, दिन–शनिवार

स्थान – उच्च न्यायालय परिसर

समय – प्रातः 11:00 बजे

रजिस्ट्रेशन नम्बर (अम्बेसडर)

S.No.	Staff Car No.	Make and Model
1.	UP 70 AG 0491	Ambassador, 2007
2.	UP 70 AG 0498	Ambassador, 2007
3.	UP 70 AG 0501	Ambassador, 2007

नीलाम की शर्तें

1. नीलामी समिति को अधिकार होगा कि यह किसी भी बोली को बिना कारण बताये अस्वीकार कर दे। अन्तिम बोली की स्वीकृति सक्षम अधिकारी द्वारा की जायेगी।
2. प्रत्येक बोली बोलने वाले को नीलामी में भाग लेने से पूर्व रूपया 10,000/—(रु० दस हजार मात्र) नगद जमा करना होगा। नीलामी समाप्त होने पर जिन व्यक्तियों की बोली अस्वीकृत होगी उसकी उक्त धनराशि तुरन्त वापस कर दी जायेगी।
3. नीलामी की कार्यवाही में बोली बोलने हेतु केवल वही व्यक्ति अधिकृत होगा अथवा अधिकृत प्रतिनिधि ही भाग ले सकेगा जो उक्त धनराशि जमा करेगा।
4. नीलामी होने वाले वाहन को नीलामी से दो दिन पूर्व अर्थात् 05.12.19 को अपराह्न 2:30 बजे से 4:30 बजे तक न्यायालय परिसर में देखा जा सकेगा।
5. बोली बोलने वालों का यह उत्तरदायित्व होगा कि बोली से पूर्व उक्त वाहन का पूर्ण निरीक्षण कर लें।
6. जिसकी अन्तिम बोली स्वीकार की जायेगी उसे बोली की 75 प्रतिशत धनराशि तुरन्त जमा करनी होगी, यदि बोली बोलने वाले व्यक्ति द्वारा निर्धारित धनराशि तुरन्त जमा नहीं की गई तो बोली निरस्त समझी जायेगी व जमानत जब्त कर ली जायेगी।
7. सक्षम अधिकारी द्वारा अन्तिम बोली की स्वीकृति प्राप्त होने पर अधिक बोली बोलने वाले को एक सप्ताह में शेष धनराशि जमा करनी होगी, अन्यथा बोली निरस्त करके जमा धनराशि जब्त कर ली जावेगी व वाहन को पुनः नीलाम किया जायेगा।
8. वाहन की अन्तिम बोली जब तक सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृति नहीं प्रदान की जाती है तब तक वाहन सरकारी गैराज में होगा।
9. निष्प्रयोज्य नीलामी समिति द्वारा स्वीकार की गई अन्तिम बोली को विभागाध्यक्ष द्वारा अन्तिम रूप से अनुमोदित नहीं किया जायेगा।
10. वाहन 'जहाँ है जैसा है' कि स्थिति में उच्च न्यायालय परिसर में नीलाम तथा निर्गत किया जायेगा।

11. नीलाम किये गये वाहन को उच्चतम बोली बोलने वाले को तब तक सुपुर्दगी नहीं दी जायेगी जब तक कि उसने बोली की पूर्ण धनराशि का पूरा भुगतान न कर दिया हो तथा आर0टी0ओ0 आफिस, प्रयागराज के अनुसार देय टैक्स का भुगतान न किया गया हो तथा वाहन अपने नाम पर हस्तांतरित न करा लिया हो।
12. जिस व्यक्ति के पक्ष में नीलामी अन्तिम रूप से स्वीकार होगी उस व्यक्ति को वाहन का पूरा मूल्य जमा कर देने के पश्चात् तथा शर्त सं0 11 के पूर्ण होने के पश्चात्, तत्काल वाहन को नीलामी स्थल से हटा लेना होगा।
13. यदि नीलामी की शर्तों के विषय में कोई विवाद उठता है तो महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम व मान्य होगा।
14. नीलामी के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कानूनी कार्यवाही जनपद इलाहाबाद में स्थित सक्षम न्यायालय में ही की जायेगी।

महानिबन्धक
उच्च न्यायालय, इलाहाबाद